

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2009

का.आ. 2526(अ).—केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेघालय सरकार के परामर्श से मेघालय राज्य के ऐसे पौधों और पशुओं की जातियाँ जो नीचे सारणी के स्तंभ (2) की सूची के अनुसार लुप्त होने के कगार पर हैं अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

## सारणी

क्रम संख्या	जातियों के नाम
(1)	(2)
<b>पौधे</b>	
1.	एक्विलेरिया खासिनिया एफ
2.	जिमनोक्लोडस एसामिकस कंजीलाल
3.	आइलक्स खासिनिया पुरकायाष्ठा
4.	जैसमिनम एडिनोफाइलम वाल एक्स सी बी क्लार्क
5.	नेपनथीक खासिनिया हुक एफ.
6.	निम्फे टैट्रगोनेल जार्जी
<b>पशु</b>	
1.	राइनोसिरोस सोनडिक्स डेसमरेस्ट, 1822
2.	जिप्स बेंगलिनिस (जमेलिन, 1788)
3.	जिप्स टेनयुरुस्ट्रिस ग्रे, 1844
4.	सर्कोजिप्स कैलवस (स्कोपोलियों, 1786)
5.	फिलाटस शिलांगजेनसिस पिलाई एंड चांडा, 1973

2. सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध पौधों और पशुओं की जातियों के संग्रह का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही मेघालय राज्य जैव विविधता बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात् :—

- वैज्ञानिक अनुसंधान;
- वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थाओं के वनस्पति संग्रहालय और संग्रहालय;
- प्रचार; और
- कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण।

(3) मेघालय राज्य जैव विविधता बोर्ड निम्नलिखित का भार अपने ऊपर लेगा —

- संपूर्ण समझ के लिए अधिसूचित जातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन;
- यथावत और पूर्ववत संरक्षण और पुनर्वास के प्रयोजन के लिए अधिसूचित जातियों का प्रचार; और
- वन विभाग कार्मिक, जैव विविधता प्रबंध समितियों, पारिस्थितिक पर्यटन कार्यक्रम और वनवासियों और जनजातियों के लिए अधिसूचित जातियों पर जानकारी कार्यक्रम आयोजित करना और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

[फा. सं. 28-12/2008-सीएस-3]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2009

S.O. 2526(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Meghalaya, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table below, for the State of Meghalaya, namely :—

## TABLE

Sl. No.	Name of the Species
(1)	(2)
<b>Plants</b>	
1.	Aquilaria khasiana Hallier f.
2.	Gymnocladus assamicus Kanjilal
3.	Ilex khasiana Purkayastha
4.	Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B. Clarke
5.	Nepenthes khasiana Hook.f.
6.	Nymphaea tetragonal Georgi
<b>Animals</b>	
1.	Rhinoceros sondaicus Desmarest, 1822
2.	Gyps bengalensis (Gmelin, 1788)
3.	Gyps tenuirostris Gray, 1844
4.	Sarcogyps calvus (Scopoli, 1786)
5.	Philautus shillongensis Pillai & Chanda, 1973

2. The collection of the species of plants and animals listed in column (2) of the Table shall be prohibited, except with the approval of the Meghalaya State Biodiversity Board only for the purposes mentioned below, namely :—

- scientific research;
- herbarium and museum of scientific and academic institutions;
- propagation; and
- any other scientific investigation.

3. The Meghalaya State Biodiversity Board shall undertake —

- studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;
- propagation of the notified species for the purpose of in situ and ex situ conservation and rehabilitation; and
- awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F.No. 28-12/2008-CS-III]

A.K. GOYAL, Jt. Secy.